राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकःएफ.4(1)(3)नपा/रानिआ/2016/ 259 दिनांकः– 31/1/17

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर),
बाड़मेर, बांरा, दौसा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, नागौर, सवाईमाधोपुर।

विषय :– नगरपालिकाओं में दिनांक 31.12.2016 तक रिक्त हुए/रहे पदों उपचुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत नगरपालिकाओं में दिनांक 31.12.2016 तक रिक्त हुए/रहे पदों पर उपचुनाव करवाये जाने हैं। वर्तमान में नगरपालिकाओं की निर्वाचक नामावली अर्हता दिनांक 01.01.2014 अथवा 1.1.2015 के सन्दर्भ में तैयार की हुई है। अतः जिन वार्डों में रिक्ति हुई है, वहां की मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2017 की अर्हता तिथि के सन्दर्भ में कराया जाना आवश्यक है। संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

कार्यक्रम

1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	दिनांक 04.02.2017 को
2.	दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	दिनांक 13.02.2017 तक
3.	दावे व आपत्तियों का निस्तारण करना	दिनांक 22.02.2017 तक
4.	पूरक सूचियॉ तैयार करना	दिनांक 27.02.2017 तक
5.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	दिनांक 03.03.2017 को

मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 7 से 15 के अनुसार विद्यमान सूचियों से ही प्रारूप प्रकाशन होगा।

प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूचियों पर प्राप्त दावें व आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् तैयार पूरक सूचियों को पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करने हेतु तिथि 28.02.2017 एवं इनका लेजर प्रिंट तैयार करने हेतु दिनांक 02.03.2017 तक की अवधि निर्धारित की जाती है। निर्वाचक नामावली में संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान नाम जोडने/हटाने/संशोधित किए जाने हेतु ई–सूची पर पिंक पैड के माध्यम से प्रविष्टि कर पूरक सूची तैयार की जाएगी। पिंक पैड में प्रविष्टि किए जाने हेतु लिंक दिनांक 13.02.2017 से खुला होगा।

आयोग के ध्यान में आया है कि न्यायालय के समक्ष विचाराधीन विभिन्न चुनाव याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित किए जा रहें निर्णयों में किसी चुनाव विशेष को अवैध एवं शून्य घोषित करते हुए उस पद हेतु निर्धारित समयावधि में उपचुनाव कराने के निर्देश प्रदान किए जा रहे है। इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि यदि आपके जिले में किसी पद हेतु माननीय न्यायालय द्वारा इस तरह के कोई निर्णय पारित किए है एवं उसमें उच्चतर न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान नहीं किया गया हैं तथा वे पद पत्र के साथ संलग्न रिक्त पदों कि सूची में सम्मिलित नहीं है, तो उन पदों के उपचुनाव के लिए भी मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य करा लिया जाए एवं पदों की रिक्ति का पूर्ण विवरण प्रारूप प्रकाशन की सूचना के साथ आयोग को प्रेषित किया जाए।

संलग्न रिक्त पदों की सूची

भवदीय
(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी 31/1/17
एंव सचिव

क्रमांकःएफ.4(1)(3)नपा/रानिआ/2016/ 260-62 दिनांकः– 31/1/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. कम्प्यूटर/लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

31.1.2017
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

D:\NP\F4(1)(3) NP SEC 2016_bye-election December,2016.doc
4

दिनांक 31.12.2016 तक नगरपालिकाओं में रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरपरिषद/ नगरनिगम/ न.पा. का नाम	रिक्त वार्ड संख्या	वर्गीकरण
1.	बाड़मेर	न.प बाड़मेर	18	अन्य पिछडा वर्ग
2.	बांरा	न.पा छबड़ा (अध्यक्ष)	03	सामान्य महिला
3.	दौसा	न.पा बांदीकुई	19	सामान्य
4.	धौलपुर	न.पा राजाखेड़ा	17	सामान्य महिला
5.	हनुमानगढ़	न.पा भादरा	14	अन्य पिछडा वर्ग (महिला)
6.	झुन्झुनू	न.पा चिड़ावा	08	अन्य पिछडा वर्ग
7.	नागौर	न.पा कुचामन सिटी (अध्यक्ष)	09	सामान्य
8.	सवाईमाधोपुर	न.प सवाईमाधोपुर (उप सभापति)	35	सामान्य